

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- आवेदन पत्र आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्राप्त किया जायेगा।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु मतदाता पहचान पत्र एवं वोटर लिस्ट संलग्न करना होगा।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु बी0पी0एल0 सूची की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक/आवेदिका का उम्र 60 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

- आवेदन पत्र आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्राप्त किया जायेगा।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु मतदाता पहचान पत्र एवं वोटर लिस्ट संलग्न करना होगा।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु बी0पी0एल प्रमाण पत्र सूची की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- आवेदन पत्र आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्राप्त किया जायेगा।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना होगा।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु बी0पी0एल0 में नाम नहीं रहने पर 60,000/- रू0 अधिकतम आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय/बिहार निःशक्तता पेंशन योजना

- आवेदन पत्र आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्राप्त किया जायेगा।
- निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना होगा।
- निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- विवाह के पूर्व वधू की उम्र 18 वर्ष तथा वर का उम्र 21 वर्ष हो।
- वार्षिक आय 60,000 रू० से कम हो।
- पुनर्विवाह का मामला न हो।
- विवाह का निबंधन प्रमाण—पत्र मुखिया द्वारा निर्गत किया गया हो।
- दहेज नहीं लेने—देने का शपथ पत्र।
- आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र।
- बी० पी० एल० धारी माता/पिता का नाम सदस्यों के लिए आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र देय नहीं है।
- फोटोयुक्त आवेदन पत्र तथा मुखिया द्वारा प्रपत्र "क" 2 का छाया प्रति होना चाहिए।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

- आवेदन पत्र आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर प्राप्त किया जायेगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदिका एवं मृतक का मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु बी०पी०एल० सूची की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- आवेदक/आवेदिका अपना आवेदन स्वयं जमा करेंगे।